महोबा पुलिस

दिनांक- 18.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 383/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 18.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 18.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 384/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर थाना खन्ना

थाना खन्ना पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना खन्ना जनपद महोबा की देखरेख में पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त क्रम में आज दिनांक 18.07.2026 को उ0नि0 नरोत्तम सिंह मय हमराह रि0का0 अनुज कुमार यादव द्वारा अभियुक्त अजय उर्फ सोनू पुत्र रामप्रकाश उर्फ लाला, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी कस्बा व थाना कुरारा जिला हमीरपुर को सम्बन्धित मु0अ0सं0 935/2011 धारा 395/397/412 भादवि व 12/10 यूपी डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम थाना खन्ना जनपद महोबा में माननीय न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड महोबा द्वारा जारी बिना जमानतीय वारंट के आधार पर सर्विस रोड खन्ना से गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 हीरामणि तिवारी मय हमराह रि0का0 आनन्द राज सरोज द्वारा अभियुक्त धनीराम पुत्र अमरलाल, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम पचपहरा थाना खन्ना जनपद महोबा को सम्बन्धित क्रिमिनल वारंट ट्रायल संख्या 221/2019, अ0सं0 152/2026 धारा 458/380/511 भादवि में माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन/मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा जारी बिना जमानतीय वारंट के आधार पर ग्राम पचपहरा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए दोनों वारण्टी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.अजय उर्फ सोनू पुत्र रामप्रकाश उर्फ लाला, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी कस्बा व थाना कुरारा जिला हमीरपुर

2.धनीराम पुत्र अमरलाल, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम पचपहरा थाना खन्ना जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 नरोत्तम सिंह

2.उ0नि0 हीरामणि तिवारी

3.रि0का0 अनुज कुमार यादव

4.रि0का0 आनन्द राज सरोज

दिनांक- 18.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 385/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना अजनर

थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त क्रम में थानाध्यक्ष श्री सुभाष चन्द्र द्वारा गठित टीम उ0नि0 राधा मोहन त्रिवेदी, उ0नि0 हरी कुमार सिंह, उ0नि0 राजेश कुमार, उ0नि0 ऋषी शुक्ला मय हमराह पुलिस बल द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारंटों की तामील के क्रम में आज दिनांक 18.07.2026 को 04 वारण्टी अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. रामजी राजपूत पुत्र उदयभान राजपूत, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम भगारी थाना अजनर जनपद महोबा (सीपी संख्या 364/26, धारा 60 आबकारी अधिनियम)
2. अनीस मंसूरी पुत्र मन्नी मंसूरी, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम बुधवारा थाना अजनर जनपद महोबा (सीपी संख्या 4491/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट)
3. सचिन सेन पुत्र महेश सेन, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम नगाराडांग थाना अजनर जनपद महोबा (सीपी संख्या 16783/26, धारा 60/72 एनआई एक्ट)
4. आशीष पुत्र बसन्त दुबे, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम अजनर थाना अजनर जनपद महोबा (परिवाद संख्या 8674/24, धारा 379/506/411 भादवि)

उक्त सभी अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा द्वारा जारी वारंट के अनुपालन में गिरफ्तार कर नियमानुसार माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 राधा मोहन त्रिवेदी 2.उ0नि0 हरी कुमार सिंह 3.उ0नि0 राजेश कुमार 4.उ0नि0 ऋषी शुक्ला
5.कां0 रवि कुमार 6.रि0का0 रवि प्रकाश 7.रि0का0 शिवम पाण्डेय 8.रि0का0 अनुज कुमार

दिनांक- 18.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 386/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी- थाना चरखारी

थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा

01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध गतिविधियों (शराब/जुआ/गांजा/अवैध शस्त्र) के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चरखारी पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम के अंतर्गत उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा मय हमराह हे0कां0 राजाराम पाल द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त अरविन्द उर्फ निन्नी पुत्र विरंची तिवारी उर्फ विरंचीलाल, निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा को सम्बन्धित केस संख्या 257/18, मु0अ0सं0 991/2008 धारा 353/504/506 भादवि में माननीय न्यायालय द्वारा जारी वारंट के अनुपालन में आज दिनांक 18.07.2026 को ग्राम सूपा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए वारण्टी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अरविन्द उर्फ निन्नी पुत्र विरंची तिवारी उर्फ विरंचीलाल, निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा
2. हे0कां0 राजाराम पाल

दिनांक- 18.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 386/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी- थाना चरखारी

थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा 06 अभियुक्तगण गिरफ्तार, शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में न्यायालय में किया गया पेश

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध गतिविधियों (शराब/जुआ/गांजा/अवैध शस्त्र) के विरुद्ध तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चरखारी पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना चरखारी श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 मलखान सिंह मय हमराह हे0कां0 राजकुमार, कां0 राहुल यादव व रि0कां0 अनिल कुमार यादव द्वारा 06 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.सर्वोत्तम सिंह पुत्र भारत सिंह, उम्र करीब 34 वर्ष 2.पहलवान सिंह पुत्र भारत सिंह, उम्र करीब 38 वर्ष 3.सर्वेश मिश्रा पुत्र रमेश चन्द्र मिश्रा, उम्र करीब 25 वर्ष 4.भानप्रकाश मिश्रा उर्फ छोटू पुत्र रमेश चन्द्र मिश्रा, उम्र करीब 44 वर्ष 5.सुशील मिश्रा पुत्र स्व0 श्रीप्रसाद मिश्रा, उम्र करीब 28 वर्ष 6.विनय मिश्रा पुत्र स्व0 श्रीप्रसाद मिश्रा, उम्र करीब 24 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम काकुन थाना चरखारी जनपद महोबा को अन्तर्गत धारा 170/126/135 BNSS के तहत गिरफ्तार किया गया।

उक्त कार्रवाई एनसीआर संख्या 27/26 धारा 115(2)/352 बीएनएस एवं एनसीआर संख्या 28/26 धारा 115(2) बीएनएस की जांच के उपरांत की गई। जिसमें अभियुक्तगणों के विरुद्ध मु0सि0सि0 संख्या 565/26 एवं 565ए/26 पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1.सर्वोत्तम सिंह पुत्र भारत सिंह, उम्र करीब 34 वर्ष

2.पहलवान सिंह पुत्र भारत सिंह, उम्र करीब 38 वर्ष

3.सर्वेश मिश्रा पुत्र रमेश चन्द्र मिश्रा, उम्र करीब 25 वर्ष

4.भानप्रकाश मिश्रा उर्फ छोटू पुत्र रमेश चन्द्र मिश्रा, उम्र करीब 44 वर्ष

5.सुशील मिश्रा पुत्र स्व0 श्रीप्रसाद मिश्रा, उम्र करीब 28 वर्ष

6.विनय मिश्रा पुत्र स्व0 श्रीप्रसाद मिश्रा, उम्र करीब 24 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम काकुन थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 मलखान सिंह

2.हे0कां0 राजकुमार

3.कां0 राहुल यादव

4.रि0कां0 अनिल कुमार यादव

दिनांक- 18.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 387/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना कोतवाली नगर

क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा थाना कोतवाली नगर के विवेचकों का अर्दली रूम, विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा कर दिए गए सख्त दिशा-निर्देश...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड द्वारा आज दिनांक 18.07.2026 को थाना कोतवाली नगर में नियुक्त समस्त विवेचकों के साथ अर्दली रूम आयोजित किया गया।

अर्दली रूम के दौरान UP Police के SSO (Single Sign On) पोर्टल पर प्रदर्शित 60/90 दिवस से लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए उनके त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही अन्य लंबित विवेचनाएं, शिकायती प्रार्थना पत्र, IGRS प्रकरण, पंचायतनामा जांच, गुमशुदा व्यक्तियों की जांच, अपहृता की बरामदगी, निरोधात्मक कार्यवाही, न्यायालय से निर्गत NBW की तामील, ई-समन, यक्ष ऐप, ई-साक्ष्य, NCRP पोर्टल तथा प्रचलित अभियानों की प्रगति का गहन परीक्षण किया गया।

क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी विवेचक अपने-अपने प्रकरणों में गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित करें तथा लंबित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करें। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, NBW की शत-प्रतिशत तामील तथा जनसुनवाई से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

इसके अतिरिक्त रात्रि गणना के दौरान उपस्थित समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को अपने-अपने हल्का/चौकी/बीट क्षेत्र में नियमित भ्रमणशील रहने, अवैध शराब, गांजा एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री, जुआ-सट्टा एवं अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा सक्रिय अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही हिस्ट्रीशीटरों (HS) की नियमित चेकिंग करने एवं बीट बुक सहित समस्त अभिलेखों को अद्यावधिक रखने के निर्देश दिए गए।

तत्पश्चात क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा कोतवाली नगर क्षेत्र में पैदल गश्त (फुट पेट्रोलिंग) कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई तथा व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही आमजन से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुना गया एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आश्वस्त किया गया।